न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2016 अपील

श्रीमती सीमा देवी पत्नी रामकुमार गुर्जर निवासी फूटियाखेडा, खामौर, तहसील शाहपुरा

बनाम

1. श्रीमती सन्तोक देवी पत्नी देवीलाल ढोली निवासी जासोरिया तहसील बनेडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार शाहपुरा नामान्तरकरण सं. 1423 निर्णय दिनांक 21.06.2016 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री आदित्य नारायण अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं0. 01 उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.07.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार शाहपुरा नामान्तरकरण सं0 1423 निर्णय दिनांक 21.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खामौर तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी नं. 92,94,95,96,102/5507, किता 05 रकबा 2.28 हैक्ट. भूमि जो राजस्व अभिलेख में सन्तोक देवी पत्नी देवीलाल ढोली निवासी जासोरिया, तहसील बनेडा के नाम अभिलिखित होकर औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया गया। अपीलार्थीगण ने उक्त आराजियात की प्रतिफल राशि खातेदार श्रीमती सन्तोक देवी को भुगतान कर दिनांक 04.03.2016 को पंजीकृत विलेख से खरीद किया गया। वक्त खरीद से भूमि निजाई का अपीलार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 09.03.2016 को अपीलार्थीगण के खरीदशुदा आराजी भू भाग के लिए विवादित नामान्तरकरण संस्थित कर राजस्व अभिलेख में परिवर्तन कराने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक ने राज्य सरकार के परिपत्र प–6/6/ राज /92/पार्ट–II दिनांक 16.08.2012 के निर्देशों के तहत नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले पंजीकृत विलेख को नजर अन्दाज करते हुए नामान्तरकरण को अस्वीकार किया जो विधिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

रूप से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 02.08.2016 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुयी। तारीख जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। कानून को रफा कराने के लिए दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम खामौर तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी नं. 92,94,95,96, 102/5507, किता 05 रकबा 2.28 हैक्ट. भूमि जो राजस्व अभिलेख में सन्तोक देवी पत्नी देवीलाल ढोली निवासी जासोरिया, तहसील बनेडा के नाम अभिलिखित होकर औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया गया। अपीलार्थीगण ने उक्त आराजियात की प्रतिफल राशि खातेदार श्रीमती सन्तोक देवी को भुगतान कर दिनांक 04.03.2016 को पंजीकृत विलेख से खरीद किया गया। वक्त खरीद से भूमि निजाई का अपीलार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। राज्य सरकार के परिपत्र प–6/6/ राज /92/पार्ट–II दिनांक 16.08.2012 के निर्देशों के तहत नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले पंजीकृत विलेख को नजर अन्दाज करते हुए नामान्तरकरण को अस्वीकार किया जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खामोर के नामान्तरकरण सं. 1423 पर जिलाधीश महोदय भीलवाडा के पत्र कमांक/11.12.2014 एवं शासन ग्रुप – 6 के परिपत्र प–6/6/राज/92/पार्ट–II दिनांक 16.08.2012 के निर्देशों के तहत ग्रामीण क्षैत्रों में भूमि रूपान्तरण के पश्चात किये हस्ताक्षर पर नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना अवैध है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया जो उचित हैं । निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया। नामान्तरकरण सं. 1423 पर भू. अ. निरीक्षक तहनाल ने यह रिपोर्ट अंकित की हैं कि जिलाधीश महोदय भीलवाडा के पत्र कमांक/11.12.2014 एवं शासन ग्रुप– 6 के परिपत्र प–6/6/राज/92/पार्ट–II दिनांक 16.08.2012 के निर्देशों के तहत ग्रामीण क्षैत्रों में भूमि रूपान्तरण के पश्चात किये हस्तान्तरण पर नामान्तरकरण की कार्यवाही

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

किया जाना अवैध है। अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत किये गये भूमि रूपान्तरण के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु राजस्व ग्रुप – 6 विभाग राज. जयपुर की अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के तहत भूमि रूपान्तरण नियम 12 में संशोधन कर कृषि भूमि का रूपान्तरण होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु सभी तहसीलदारों को अधिकृत किया जाना अपील मेमों में अंकित किया हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 से प्रभावी हैं, जबकि नामान्तरकरण सं. 1423 तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 21.06.2016 को अस्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय परिपत्र दिनांक 16.08.2012 के निर्देशानुसार पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। अतः नामान्तरकरण खारिज योग्य ठहरता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा के खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के नामान्तरकरण सं. 1423 दिनांक 21.06.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार शाहपुरा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा(राज.)